सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 348 राँची, बुधवार, 3 आषाढ़, 1948 (श०) / 24 जून, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

23 जून, 2026

संचिका सं0-01/मु०स्था०-61/24 - 1832/रा० --

विषयः- झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के संबंध में।

झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत W.P.(S) No. 4646/2024 रघुनाथ महतो बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं W.P.(S) No. 4668/2024 मुरारी मोहन ठाकुर बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-18.11.2024 को पारित न्यायादेश से आच्छादित एवं बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत निम्नलिखित 02 (दो) कर्मियों को उनके सम्मुख पद एवं वेतनमान पर सेवा नियमित करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता हैः-

क्र.	नाम	पदनाम	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्वीकृत वेतनमान
01.	श्री रघुनाथ महतो	चालक	जिला नजारत शाखा, जिला-बोकारो	5200-20200, ग्रेड पे-1900, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-II
02.	श्री मुरारी मोहन ठाकुर	अनुसेवक	जिला निर्वाचन शाखा, जिला-बोकारो	5200-20200, ग्रेड पे-1800, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-I

2. उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मियों की सेवा नियमितीकरण निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन होगीः-

I. उक्त कार्रवाई मात्र एक समव्यवहार (One time measure) के लिए की जायेगी एवं इसे पूर्वोद्धारण नहीं माना जायेगा।

II. उपर्युक्त कर्मियों को नियमितीकरण के लाभ नियमित नियुक्ति की तिथि से देय होंगे।

III. उपर्युक्त कर्मियों को योगदान देने की तिथि से वास्तविक वित्तीय एवं अन्य सुविधा देय होगा।

IV. श्री रघुनाथ महतो को वाहन चलाने के लाईसेंस का सत्यापन संबंधित कार्रवाई उपायुक्त कार्यालय, बोकारो के द्वारा कराई जाएगी। नियुक्ति के उपरान्त इनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित 'झारखण्ड वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 (यथा संशोधित)' के अधीन होगी।

V. योगदान की तिथि से अगले दो वर्षों अथवा प्रमाण-पत्रों की जाँच होने (जो बाद में हो) तक इनकी सेवा परिवीक्षा (Probation) पर होगी।

VI. उपर्युक्त कर्मियों की सेवा झारखण्ड सरकार द्वारा गठित सुसंगत नियमावली के अधीन होगी।

VII. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1348, दिनांक-13.02.2015 एवं उक्त अधिसूचना में अधिसूचना सं0-4871, दिनांक-20.06.2019 तथा झारखण्ड सरकार द्वारा गठित सुसंगत नियमावली के आलोक में उपायुक्त, बोकारो उपर्युक्त कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता/अनुभव संबंधी कागजातों की जाँच कर अपने स्तर से संतुष्ट होकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. विभागीय संलेख ज्ञापांक-1675, दिनांक-12.06.2026 के द्वारा झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.06.2026 में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 348-- 50